न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर।

अपील संख्याः 255/16 (जीसीएमएस 2016/00228)

1. जगदीश पुत्र मानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चौमू, उप तहसील मालाखेड़ा, तहसील अलवर, जिला अलवर।

———अपीलांट

बनाम

1. मु. बत्तों पत्नी स्व. श्री रतनलाल जाति यादव निवासी ग्राम चौमू, तहसील अलवर, जिला अलवर।

———रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 25.08.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर, के अपीलाधीन आदेश दिनाँक 03.07.2006 के विरूद्ध के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट स्वर्गीय श्री रतनलाल का सगा भतीजा है और अपीलांट ने स्वर्गीय श्री रतनलाल के जीवन पर्यन्त व उनकी पत्नी रेस्पोडेंट मु. बत्तों की भी सेवा सुश्रुषा की है तथा स्वर्गीय श्री रतनलाल ने अपने जीवनकाल में अपीलांट की सेवा–सुश्रुषा से खुश होकर अपने हिस्से 1/3 भाग की ग्राम चौमू में स्थित आराजी व मकान की वसीयत अपीलांट के पक्ष में बाजाब्ता दिनाँक 25.06.2005 को तहरीर तकमील की थी जिसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया था तथा अपीलांट स्वर्गीय श्री रतनलाल के जीवनकाल से उसकी कृषि भूमि एवं रिहायशी मकान पर काबिज रहकर उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है और आज भी अपीलांट मौके पर काबिज है। जिस वसीयत को आज दिन तक चैलेन्ज नहीं किया गया है, ना उसे निरस्त कराया गया है किन्तु तहत अदालत नायब तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अंधिकारी अलवर के द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद एवं मिन अपीलांट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कोई मौके पर कब्जे की जाँच किये बेजा रूप के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका स्वर्गीय श्री रतनलाल की विरासत का इन्तकाल रेस्पोडेंट मु. बत्तो के नाम स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने तहत अदालत जिला कलक्टर अलवर के यहाँ अपील प्रस्तुत की, जो अपील तहत अदालत द्वारा बेजा तौर पर खारिज की गई है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत की तस्दीक शुदा छांया प्रति प्रस्तुत की थी, जिसे तहत अदालत को मानना चाहिये था, विशेष सूरत में जबकि उक्त वसीयत को रेस्पोडेंट द्वारा आज तक किसी न्यायालय में चुतौती नहीं दी गयी है, ना कोई कार्यवाही की गयी हैं। ऐसी सूरत में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

केवल रेस्पोडेंट के यह कह देने से कि वसीयत सही नहीं है, वसीयत को अवैध नही माना जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहाँ भी राजस्व वाद अनुवानी जगदीश बनाम मानसिंह वगैरा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें स्थगन मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी है ऐसी स्थिति में तहत अदालत को अपील स्वीकार करनी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि निर्णय जेरे अपील में जिन न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया है, वो मौजूदा प्रकरण मे चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि कानूनन किसी भी दस्तावेज को किसी भी न्यायालय को जब तक गलत करार देने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उस दस्तावेज को शून्य अथवा गलत करार नहीं दिया जावें। तहत अदालत का यह कहना कि न्यायालय का स्थगन हो तो भी वसीयत के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता, सर्वथा गलत एवं मनमाना निष्कर्ष है इसलिए निर्णय हरदो अधीरस्थ न्यायालय काबिल खारिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि निर्णय में जिस प्रकरण धारा 367, 371 भारतीय दण्ड संहिता का उल्लेख किया गया है, उसमें एफ. आर. लगा दी गयी थी, जो सक्षम न्यायालय द्वारा दिनाँक 05.07.2006 को एफ. आर. भी स्वीकार भी की जा चुकी है जिस निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया गया है कि वसीयत को फर्जी या बनावटी मानने का कोई कारण व आधार नहीं हैं तथा पुलिस तफतीश को भी लोकसेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों के विधिपूर्ण निर्वहन में किया जाना माना गया है तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए एफ. आर. स्वीकार की जा चुकी है इसलिए भी निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय काबिल खारिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट के हक में जो इन्तकाल स्वीकार किया गया, वह बिना कोई मौके की जाँच किये तथा बिना अपीलान्ट को सुने न्याय के कुदरती सिद्धान्तों के विपरित किया गया था जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में अपीलान्ट का मुकदमा विचाराधीन था और उसमे स्थगन आदेश भी था ऐसी स्थिति में ऐसी कोई इमरजेन्सी नही थी कि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान जिसमें कि पक्षकरान के हकूक तय होने है, इन्तकाल को स्वीकार किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट मृतक द्वारा छोडी गई ज़मीन व मकान पर मौके पर आज भी काबिज है और अपीलान्ट ही मृतक के जीवनकाल से जमीन व मकान की देखरेख संभाल व कार्य काश्त करता आ रहा है और रिहायशी मकान में रिहायश भी कर रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 पारित किया है

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों, विधिक प्रक्रिया एवं विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 एवं नामान्तरकरण संख्या 338 वाके ग्राम ढाकपुरी पर नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2005 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट जगदीश ने असल वसीयत अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर या फिर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष भी प्रस्तुत नही की है क्योंकि अपीलान्ट जानता है कि वह वसीयत फर्जी है और उस वसीयत के खिलाफ में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क0ख0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अलवर में अन्तर्गत धारा 367, 371, 368 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है जिस कार्यवाही के दस्तावेजता प्रस्तुत किये गये है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के द्वारा दिनांक 10.10.2005 को कोई स्टे आदेश नही था और ना ही नायब तहसीलार मालखेडा के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा कोई स्टे पेश नही किया। ऐसी सूरत में नायब तहसीलदार मालाखेडा ने नामान्तरकरण संख्या 338 दिनांक 10. 10.2005 को मृतक की पत्नी रेस्पोडेन्ट बत्तो के नाम सही तरीक से तस्दीक किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक समरी प्रोसिडिंग है तथा समरी प्रोसेडिंग में कोई अधिकार तय नही होता है जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 प्रथम 2003 पेज 650 पर निर्णय प्रतिपादित किया गया है कि जब तक किसी पक्षकार के पक्ष में वसीयत के आधार पर घोषणा नही हुई हो और वसीयतनामा पंजीकृत ना हो तो इसके मुकाबले में विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है जब तक कि वसीयत के आधार पर घोषणा नही हो जाती है, अगर सिविल न्यायालय का यथास्थिति के आदेश भी हो तो भी नामान्तकरण की कार्यवाही में बाधा नही डाली जा सकती है, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रतिपादित सिद्धान्त 2004 आर0बी0जे0 पेज 515 में है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में राजस्व न्यायालय इस बात के लिऐ सक्षम नही है कि वसीयत की वैद्यता के सम्बन्ध में कोई फाईण्डिग दे सके, आर0बी0एस0 2004 पेज 521 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सक्सेसन के मैटर मे चाहे विल द्वारा और चाहे गोद का मैटर नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नही किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि गिरदावर हल्का द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण की पुष्ट पर अंकित किया है कि फैसल कुलिन्दा पुनः वारिसान की पुष्टि अपने स्तर पर कर फैसला फरमावें जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण भरने के समय मृतक के वारिसान की स्थिति नायब तहसीलदार के समक्ष स्पष्ट नही थी ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण बाबत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रतनलाल पुत्र बुद्धा द्वारा दिनांक 25.06.2005 को अपीलान्ट के हक में एक वसीयत तहरीर की गई है जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक की हुई है तथा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 338 उक्त वसीयत के पश्चात् दिनांक 10.10.2005 को स्वीकार किया गया है जिससे यह भी स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। यदपि वसीयत के फर्जी होना या ना होने सम्बन्धी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा गौर न कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 पारित किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 एवं नामान्तरकरण संख्या 338 वाके ग्राम चौमू तहसील मालाखेडा जिला अलवर पर नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2005 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं वसीयत के गवाहानादि के बयानादि लिये जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।